संख्या-17/2024/956/78-1-2024-209/2022(पार्ट-2)

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपीएलसी, लखनऊ।

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 18 जून, 2024

विषयः- "उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 (प्रथम संशोधन-2022)" के प्रस्तर-9.3: स्टार्टअप्स हेतु प्रोत्साहन के अन्तर्गत स्टार्टअप इकाईयों को प्रोत्साहन के संबंध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 1802/78-1-2022-209/2022 दिनॉक 09 नवम्बर 2022 द्वारा "उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 (प्रथम संशोधन-2022)" अधिसूचित की गई है।

2- "उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 (प्रथम संशोधन-2022)" के प्रस्तर 9.3: स्टार्टअप्स हेतु प्रोत्साहन के अन्तर्गत स्टार्टअप इकाइयों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्राविधानित किये गये हैं। इन प्रोत्साहनों की स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती हैः-

3- **सामान्य नियम एवं शर्तेः-**

3.1 उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020, अधिसूचना की तिथि से पाँच (5) वर्षों के लिए वैध है तथा पिछली स्टार्टअप नीतियों अर्थात् 'उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति-2016' एवं 'उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति-2017-2022' के स्टार्टअप भाग से सम्बन्धित धाराओं को अवक्रमित करती है।

3.2 उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 (प्रथम संशोधन-2022) के प्रस्तर 11.1 के तहत अभिनव विचार/अवधारणा वाला प्रदेश में निगमित स्टार्टअप इस नीति के तहत सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा। ऐसे स्टार्टअप को स्टार्टअप इण्डिया कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए तथा नीति के प्रस्तर - 12.1 के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना संख्या जीएसआर 364 (अ) दिनांक 11 अप्रैल 2018 तथा जीएसआर 34 (अ) दिनांक 16 जनवरी 2019 के अतिक्रमण में जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 127 (अ) दिनांक 19 फरवरी 2019 द्वारा किसी इकाई को निम्नानुसार स्टार्ट-अप माना जायेगाः

(i) निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से दस वर्ष की अवधि तक, यदि वह भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा पारिभाषित) के रूप में निगमित हो अथवा एक भागीदार फर्म (भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 59 के तहत पंजीकृत)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के रूप में पंजीकृत हो अथवा एक सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत) के रूप में पंजीकृत हो।

(ii) निगमीकरण/पंजीकरण के समय से किसी भी वित्तीय वर्ष में इकाई का कुल कारोबार सौ करोड़ रूपये से अधिक न हो।

(iii) यदि यह उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के अभिनवीकरण, विकास या सुधार के संबंध में कार्य कर रही है अथवा यह रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च संभावना वाला एक व्यावसायिक मॉडल है।

(iv) पहले से ही मौजूद किसी व्यवसाय के विभाजन या उसके पुनर्निर्माण के माध्यम से बनायी गयी किसी इकाई को 'स्टार्टअप' नहीं माना जाएगा।

3.3 आवेदन तिथि पर तथा अनुवर्ती किश्तों के लिए आवेदन करते समय भी स्टार्टअप को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर के साथ परिचालनरत एवं इन्क्यूबेट होना चाहिए।

3.4 सभी प्रकार के प्रोत्साहनों और उनसे सम्बन्धित किश्तों के लिए आवेदन स्टार्टअप द्वारा प्रथमतः इन्क्यूबेटर को स्टार्ट-इन-यूपी पोर्टल (www.startinup.up.gov.in) के माध्यम से प्रस्तुत किये जायेंगे और प्रोत्साहन के लिए यदि आवेदन उपयुक्त है तो इन्क्यूबेटर द्वारा स्टार्टअप इकाई का मूल्यांकन किये जाने के बाद उसकी संस्तुति नोडल संस्था को की जायेगी।

3.5 नोडल संस्था में प्राप्त प्रोत्साहन आवेदनों को नीति के अन्तर्गत गठित मूल्यांकन समितियों (EC) के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जहॉं स्टार्टअप्स द्वारा अपना प्रस्तुतिकरण दिया जायेगा।

3.6 प्रोत्साहन आवेदनों के मूल्यांकन उपरान्त, मूल्यांकन समिति (EC) द्वारा नीति कार्यान्वयन इकाई के अनुमोदन हेतु मामले की संस्तुति की जा सकती है, अथवा उसे अस्वीकार किया जा सकता है।

3.7 मूल्यांकन समिति द्वारा संस्तुत स्टार्टअप प्रोत्साहन से सम्बन्धित प्रकरण, नोडल एजेंसी द्वारा अनुमोदन के लिए नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

3.8 स्टार्टअप नीति के कार्यान्वयन से सम्बन्धित व्यय यथा भरण-पोषण भत्ता, प्रोटोटाइप अनुदान, पेटेन्ट फाइलिंग लागत, स्टार्टअप्स द्वारा आयोजनों में प्रतिभागिता तथा स्टार्टअप जागरूकता सम्बंधित आयोजित कार्यक्रम स्टार्टअप कॉर्पस फण्ड से किये जायेंगे। सीड कैपिटल से सम्बन्धित व्यय सर्वप्रथम कॉर्पस फण्ड से किया जायेगा और बाद में उसकी प्रतिपूर्ति राजकोष से की जायेगी।

3.9 स्टार्टअप्स द्वारा अनुवर्ती किश्तों हेतु एक स्व-प्रमाणित सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र इन्क्यूबेटर को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3.10 स्टार्टअप्स को मूल चालान, बिल, वाउचर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अथवा व्यवसाय के दौरान रख-रखाव के लिए आवश्यक अन्य अभिलेखों सहित लेखा-पुस्तकों को सुरक्षित रखा जायेगा तथा जब भी आवश्यकता हो, सम्बन्धित स्टार्टअप द्वारा इसे उपलब्ध कराया जायेगा।

3.11 उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत अनुमोदित स्टार्टअप्स को मूल नीति की अधिसूचना तिथि (15 जुलाई 2020) के पश्चात् तथा नीति की संशोधन तिथि (18 नवंबर 2022) से पूर्व की अवधि के दौरान मांग किये गये वित्तीय प्रोत्साहन आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0-1129/78-1-2020-25/2012, दिनांक 18 अगस्त 2020 में निहित प्राविधानों के अनुसार प्रदान किए जायेंगे।

4- <u>स्टार्टअप प्रोत्साहन</u>

4.1 <u>भरण-पोषण भत्ता:-</u>

4.1.1 स्टार्टअप्स को परिकल्पना स्तर पर प्रति इन्क्यूबेटर 25 स्टार्टअप्स प्रति वित्तीय वर्ष, प्रति स्टार्टअप रू 17,500/- प्रति माह की दर से भरण-पोषण भत्ता एक वर्ष तक प्रदान किया जायेगा।

महिलाओं/दिव्यांगजन/ट्रॉसजेन्डर्स द्वारा 26 प्रतिशत से अधिक (न्यूनतम 27 प्रतिशत) अंशधारिता के साथ स्थापित/सह-स्थापित स्टार्टअप्स अथवा पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय/परिचालन वाले स्टार्टअप्स अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों द्वारा स्थापित/ सह-स्थापित स्टार्टअप्स को अतिरिक्त 50 प्रतिशत भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जायेगा। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र, आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

यह 50 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान रूरल इम्पैक्ट, सर्कुलर इकोनॉमी, सस्टेनेबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप्स पर भी लागू होगा। कोई स्टार्टअप उक्त क्षेत्रों के अन्तर्गत आच्छादित है अथवा नहीं, के बारे में निर्णय नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा मूल्यांकन समिति की संस्तुति के आधार पर किया जायेगा।

4.1.2 मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमन्य पाये गये प्रोत्साहन आवेदनों की संस्तुति नोडल संस्था को नीति कार्यान्वयन इकाई से अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रेषित किया जायेगा।

4.1.3 नीति कार्यान्वयन इकाई से अनुमोदन के उपरान्त प्रति माह रु 17,500/- का भरण-पोषण भत्ता, अग्रिम रूप से नोडल संस्था द्वारा स्टार्टअप्स को एक वर्ष के लिए त्रैमासिक आधार पर संवितरित किया जायेगा। इस परिप्रेक्ष्य में स्टार्टअप के कार्यरत होने की पुष्टि नोडल संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

4.1.4 एक वर्ष की अवधि के उपरान्त स्टार्टअप के अवधारणा गतिविधि (ideation activity) के पूर्ण होने की सूचना सम्बन्धित इन्क्यूबेटर द्वारा नोडल संस्था को दी जायेगी। एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात स्टार्टअप द्वारा एक स्व-प्रमाणित सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र इन्क्यूबेटर को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा, जिसे इन्क्यूबेटर द्वारा नोडल संस्था को अग्रसारित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4.1.5 उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत, उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 (प्रथम संशोधन) की अधिसूचना तिथि (18 नवंबर 2022) से पूर्व अनुमोदित स्टार्टअप्स को भरण-पोषण भत्ते की अनुवर्ती किश्तों के संवितरण हेतु इन्क्यूबेटर्स द्वारा संस्तुत प्रस्तावों का मूल्यांकन नोडल एजेन्सी के स्तर पर गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमन्य प्रस्तावों को नोडल एजेन्सी द्वारा अपनी संस्तुति सहित नीति कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। नीति कार्यान्वयन इकाई के अनुमोदन उपरान्त भरण-पोषण भत्ते की किश्त का संवितरण सीधे स्टार्टअप के बैंक खाते में किया जायेगा।

4.2 प्रोटोटाइप अनुदानः-

4.2.1 डीपीआईआईटी तथा स्टार्ट-इन-यूपी में पंजीकृत स्टार्टअप्स को प्रति स्टार्टअप रु 5 लाख तक का एकमुश्त प्रोटोटाइप अनुदान प्रदान किया जा सकेगा। 50 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान की व्यवस्था इस अनुदान हेतु लागू नहीं होगी।

4.2.2 इस अनुदान हेतु आवेदन में, **अनुलग्नक-1** पर दिये गये प्रारूप के अनुसार लागतों का विस्तृत विवरण तथा सम्मिलित लागतों का औचित्य सम्मिलित होना चाहिए। अनुमानित लागत का विधिवत परीक्षण सम्बन्धित इन्क्यूबेटर द्वारा किया जायेगा। इन प्रस्तावों को मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकित कर अनुमन्य किये गये प्रस्तावों को नोडल संस्था को प्रस्तुत किया जायेगा।

4.2.3 मूल्यांकन समिति द्वारा संस्तुत स्टार्टअप विचारों/अवधारणाओं को नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष अन्तिम अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

4.2.4 नीति कार्यान्वयन इकाई से अनुमोदन के उपरान्त सम्बन्धित स्टार्टअप को प्रोत्साहन राशि नोडल संस्था द्वारा एकल किश्त में अग्रिम रूप में अवमुक्त की जायेगी।

4.2.5 प्रोटोटाइपिंग कार्यकलाप पूर्ण होने के पश्चात स्टार्टअप द्वारा एक स्व-प्रमाणित सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र इन्क्यूबेटर को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा, जिसे इन्क्यूबेटर द्वारा नोडल संस्था को अग्रसारित किया जायेगा।

4.3 सीड कैपिटल/विपणन सहायताः-

4.3.1 स्टार्टअप्स को उनके न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (प्रोटोटाइप) को बाजार में आरम्भ करने के लिए प्रति स्टार्टअप रु 7.50 लाख तक, प्रति इनक्यूबेटर 25 स्टार्टअप्स तक की सीड कैपिटल सहायता प्रति वर्ष विपणन सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी।

महिलाओं/दिव्यांगजन/ट्रॉसजेन्डर्स द्वारा 26 प्रतिशत से अधिक (न्यूनतम 27 प्रतिशत) अंशधारिता के साथ स्थापित/सह-स्थापित स्टार्टअप्स अथवा पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय/ परिचालन वाले स्टार्टअप्स अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों द्वारा स्थापित/ सह-स्थापित स्टार्टअप्स को 50 प्रतिशत अतिरिक्त विपणन सहायता प्रदान की जायेगी। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र, आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

यह 50 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान रूरल इम्पैक्ट, सर्कुलर इकोनॉमी, सस्टेनेबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप्स पर भी लागू होगा। कोई स्टार्टअप उक्त क्षेत्रों के अन्तर्गत आच्छादित है अथवा नहीं, के बारे में निर्णय नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा मूल्यांकन समिति की संस्तुति के आधार पर किया जायेगा।

4.3.2 इस अनुदान हेतु आवेदन में, **अनुलग्नक-2** पर दिये गये प्रारूप के अनुसार लागत का विस्तृत विवरण तथा सम्मिलित लागतों के पीछे उनका औचित्य दिया जाना चाहिए। सीड कैपिटल/विपणन सहायता हेतु आवेदन के समय, उक्त सहायता की द्वितीय एवं तृतीय किश्त के संवितरण हेतु माइलस्टोन की वचनबद्वता भी स्टार्टअप-इन पोर्टल पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सूचित की जायेगी। सभी विवरणों का परीक्षण सम्बन्धित इन्क्यूबेटर द्वारा किया जायेगा और तदुपरान्त मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमन्य किये गये प्रस्ताव नीति कार्यान्यवन इकाई से अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु नोडल संस्था को प्रस्तुत किये जायेंगे।

4.3.3 स्टार्टअप द्वारा प्रस्तुत माइलस्टोन के आधार पर नोडल संस्था की संस्तुति पर नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा सीड कैपिटल/विपणन सहायता की कुल धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। तत्पश्चात, नोडल संस्था द्वारा प्रथम किश्त (40 प्रतिशत), द्वितीय किश्त (30 प्रतिशत) तथा तृतीय किश्त (30 प्रतिशत) निर्गत की जायेगी, जिसमे पहली किश्त अग्रिम के रूप में नीति कार्यान्वयन इकाई के अनुमोदन के पश्चात तथा शेष दो किश्तों का संवितरण माइलस्टोन पूर्ण होने पर मूल्यांकन समिति की संस्तुति पर नोडल संस्था द्वारा किया जायेगा।

4.3.4 व्यवसायीकरण कार्यकलाप पूर्ण होने के पश्चात स्टार्टअप द्वारा एक स्व-प्रमाणित सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र इन्क्यूबेटर को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा, जिसे इन्क्यूबेटर द्वारा नोडल संस्था को अग्रसारित किया जायेगा।

4.3.5 सीड कैपिटल/विपणन सहायता हेतु उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 के तहत अनुमोदित स्टार्टअप्स के अनुवर्ती किश्तों के लिए इन्क्यूबेटर्स द्वारा स्टार्टअप्स को अनुदान हेतु संस्तुत प्रस्तावों का मूल्यांकन नोडल एजेन्सी के स्तर पर गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। नोडल एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए नीति कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) को प्रस्तुत किया जायेगा। नीति कार्यान्वयन इकाई के अनुमोदन उपरान्त वित्तीय प्रोत्साहन का संवितरण सीधे स्टार्टअप के बैंक खाते में किया जायेगा।

उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 के तहत अनुमोदित स्टार्टअप्स के सीड कैपिटल/विपणन सहायता हेतु प्रथम किश्त संवितरण के समय स्टार्टअप्स द्वारा पीआईयू को अपने कार्य-प्रदर्शन लक्ष्य की वचनबद्वता सूचित करना होगा जिसके आधार पर अनुदान की आगामी किश्तें अवमुक्त किए जाने पर पीआईयू द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

4.4 <u>पेटेन्ट फाइलिंग लागतः</u>-

4.4.1 इन्क्यूबेट हुए स्टार्टअप्स को भारतीय पेटेन्ट्स के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय सफल पेटेन्ट्स के फाइलिंग लागत की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4.4.2 स्टार्टअप्स सफल भारतीय पेटेण्ट के लिए रु 2 लाख तथा विदेशी पेटेण्ट के लिए रु 10 लाख तक की पूतिपूर्ति हेतु दावा कर सकते हैं।

4.4.3 नीति अवधि के दौरान किये गये पेटेण्ट्स ही प्रतिपूर्ति का दावा किये जाने के लिए पात्र होंगे।

4.4.4 केवल उपयुक्त प्राधिकारी को दिया गया राजकीय शुल्क तथा आलेखन एवं परामर्श के लिए दिया गया अटॉर्नी शुल्क, प्रतिपूर्ति के लिए पांत्र होगा।

4.4.5 स्टार्टअप आवेदनों को सम्बन्धित इन्क्यूबेटर द्वारा विधिवत मूल्यांकन उपरान्त, एक अनुशंसा पत्र के साथ नोडल संस्था को प्रेषित किया जायेगा।

4.4.6 पेटेन्ट्स के फाइलिंग लागत की प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त आवेदनों को नोडल संस्था द्वारा अन्तिम अनुमोदन हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और अनुमोदन के पश्चात् ही नोडल संस्था द्वारा प्रोत्साहन राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

4.5 <u>आयोजनों में प्रतिभागिताः</u>-

4.5.1 स्टार्टअप्स आयोजनों में अपने प्रतिभागिता व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु, राष्ट्रीय आयोजनों के लिए रु 50,000 तक तथा अन्तराष्ट्रीय आयोजनों के लिए रु 1,00,000/- तक का दावा करने के लिए पात्र हैं।

4.5.2 प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने वाले स्टार्टअप को कार्यक्रम आयोजकों से निमंत्रण-पत्र /पंजीकरण की पुष्टि प्राप्त होना आवश्यक है।

4.5.3 स्टार्टअप को राष्ट्रीय आयोजनों के लिए प्रति त्रैमास अधिकतम 1 प्रतिपूर्ति (एक वित्तीय वर्ष में 4) तथा अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए प्रति छमाही अधिकतम 1 प्रतिपूर्ति (वित्तीय वर्ष में 2) दावा करने की अनुमति होगी।

4.5.4 सम्बन्धित इन्क्यूबेर्स द्वारा विधिवत मूल्यांकन किये गये स्टार्टअप आवेदनों को अनुशंसा-पत्र सहित नोडल संस्था को प्रेषित किया जायेगा।

4.5.5 स्टार्टअप्स द्वारा निम्नलिखित व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु दावा किया जा सकता हैः-

- यात्रा टिकट एवं स्थानीय यात्रा (फ्लाइट यात्रा के लिए बोर्डिंग पास)
- भ्रमण आवास
- अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के मामले में वीजा लागत और चिकित्सा बीमा
- कार्यक्रम हेतु प्रतिभागिता शुल्क अथवा पंजीकरण शुल्क तथा स्टॉल शुल्क अथवा स्टॉल फैब्रिकेशन व्यय

4.5.6 स्टार्टअप्स को अपने व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु एक कार्यक्रम भागीदारी संस्तुति (Event Participation Report) सम्बन्धित इन्क्यूबेटर्स को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जिसे इन्क्यूबेटर द्वारा नोडल संस्था को उपलब्ध कराया जायेगाः-

- कार्यक्रम का नाम, आयोजन स्थल, आयोजनकर्ता, आयोजन का विवरण इत्यादि
- परिणाम तथा प्राप्त हुए लाभ
- फोटोग्राफ्स
- स्टार्टअप की टीम से सम्मिलित प्रतिभागियों की संख्या
- उपरोक्त व्यय-मदों के अनुसार व्ययों का विवरण
- बैंक विवरण सहित निरस्त चेक
- अन्य आवश्यक अभिलेख व विवरण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4.5.7 नोडल संस्था द्वारा धनराशि की प्रतिपूर्ति नीति कार्यान्वयन इकाई के अनुमोदन के उपरान्त की जायेगी।

5- **लाभार्थी स्टार्टअप के दायित्व**

प्रोत्साहन धनराशि की प्राप्ति के लिए लाभार्थी स्टार्टअप द्वारा स्टार्ट-इन-यूपी पोर्टल के माध्यम से अभिलेखों एवं सुसंगत सूचनाओं को नोडल संस्था (यूपीएलसी) को उपलब्ध कराई जायेगा।

6- **न्यायालय का क्षेत्राधिकार**

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

7- **प्रोत्साहन/अनुदान निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड**

स्टार्टअप इकाई द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि लाभार्थी स्टार्टअप इकाई द्वारा दी गयी सूचनायें/अभिलेख गलत हैं अथवा तथ्यों को छिपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त की गई है, तो उपलब्ध कराई गयी धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही सम्बन्धित स्टार्टअप इकाई के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी। स्टार्टअप द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं कर पाने की स्थिति में दण्डित धनराशि सम्बंधित इन्क्यूबेटर्स से वसूली जायेगी।

8- नोडल एजेंसी द्वारा नीति के अन्तर्गत समस्त प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नकः यथा उपरोक्त

भवदीय,
अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव।

संख्या-17/2024/956/78-1-2024/तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3 अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं नगरीय विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6 औद्योगिक विकास शाखा के समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
7 प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
8 समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
9 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।

11 निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।

12 प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।

13 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नेहा जैन

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुलग्नक–1

प्रोटोटाईप ग्रान्ट हेतु प्रारूप

S.No.	Fields		
1	Startup's Registration Number*		
2	Entity's Name		
3	Entity's Email Id		
4	Entity's Bank Name		
5	Entity's Account Holder's Name		
6	Entity's Account Number		
7	IFSC Code of the Bank		
8	Type of Benefits for Startup	Assistance Required (Tick)	Whether Availed Earlier? (Tick)
	- PROTOTYPE DEVELOPMENT	Yes ☐ No ☐	Yes ☐ No ☐
9	Explanation - Requirement of Prototype Development (Fill-up Annexure-4. A).		
10	Amount of assistance required (in Rs.)	Prototype Development	☐
11	Documents for Due Diligence to be uploaded: - Incorporation Certificate, if not verified by MCA – 21 Portal. - Supporting document as proof in case startups founded/co-founded by women/divyangjan/transgender		
12	Brief description of product & innovation:		

* Registration number as given to the Startup by the StartInup.

Describe your Product & Innovation with possible uses/applications of product (200 words)

Explain detailed product development process with emphasis on various cost heads being incurred at all stages of the product development lifecycle (1000 words)

Sl. No.	Cost Head	Cost	Purpose/ Use in the product
Total			

Additional Comments (if Any)

Name:
Designation:
Date:
Sign:

अनुलग्नक–2

सीड कैपिटल / मार्केटिंग सहायता हेतु प्रारूप

S.No.	Fields				
1	Startup's Registration Number*				
2	Entity's Name				
3	Entity's Email Id				
4	Entity's Bank Name				
5	Entity's Account Holder's Name				
6	Entity's Account Number				
7	IFSC Code of the Bank				
8	Type of Benefits for Startup	Assistance Required (Tick)		Whether Availed Earlier? (Tick)	
	- SEED CAPITAL / MARKETING ASSISTANCE	Yes	☐	Yes	☐
		No	☐	No	☐
9	Explanation - Requirement of Prototype Development (Fill-up Annexure-4. A).				
10	Amount of assistance required (in Rs.)	Prototype Development	☐		
11	Documents for Due Diligence to be uploaded: - Incorporation Certificate, if not verified by MCA – 21 Portal. - Supporting document as proof in case startups founded/co-founded by women/divyangjan/transgender				
12	Brief description of product & innovation:				

* Registration number as given to the Startup by the StartInup.

#	Media Type	Publisher	Duration / Time Frame	Amount	Objective
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
Total					

Total	Exhibition Name	Location	Stall Requirement	Dates	Amount	Objective
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
Total						

#	Name	Designation
1		
2		
3		
4		

Name: **Designation:** **Date:** **Sign:**

Name(s) of the person & designation participating in the exhibition/ conference/ seminar.

1) **Media Type**: Digital, Print, TV, Radio, Out of Home, Others.
2) **Duration /Time Frame**: e.g. number of days, etc.
3) **Amount**: Total amount for that media type.
4) **Exhibition Name**: Name of the conference / exhibition / seminar.
5) **Location**: City & Country
6) **Stall requirement**: Yes/ No
7) **Dates**: Duration of the event